प्रेस नोट　　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　　दिनांक 30.03.2025

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से चोरी का सामान बरामद ।

दिनांक 23.03.2025 को थाना भोजपुर पर वादी श्री ओमप्रकाश द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के ट्यूबेल से केविल व अन्य सामान चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा 303(2) बी0एन0एस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.03.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्त विकास कुमार पुत्र शिवदयाल मूल पता- ग्राम मलपा गुरारू जिला गया (बिहार), हाल पता- ब्लूम पब्लिक स्कूल के पीछे तिगडी गोल चक्कर थाना विजय नगर जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 19 बर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के 07 कटआउट, 01 स्टार्टर, 06 कटे हुए बिजली के केबिल के टुकडे ,06 कटी हुई बिजली की डोरी,01 पेचकस, 01 प्लास बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गई । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं मौका पाकर चोरी की घटना कारित करता हूँ जिसमें मैं पूर्व में अलग-अलग थानों से जेल भी जा चुका हूँ । मैंने ग्राम पलौता के जंगल के टयूबेल से सामान की चोरी की थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विकास कुमार पुत्र शिवदयाल मूल पता- ग्राम मलपा गुरारू जिला गया (बिहार) हाल पता तिगडी गोल चक्कर थाना विजय नगर जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 19 बर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

चोरी के 07 कटआउट, 01 स्टार्टर, 06 कटे हुए बिजली के केबिल के टुकडे ,06 कटी हुई बिजली की डोरी,01 पेचकस, 01 प्लास बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना भोजपुर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना विजयनगर पर चोरी आयुध अधिनियम के 03 अभियोग थाना सेक्टर-63 गौतमबुद्धनगर में NDPS ACT के 02 अभियोग, थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर में चोरी व आयुध अधिनियम के 02 अभियोग पंजीकृत हैं (कुल अभियोग- 08) । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थाना भोजपुर पुलिस टीम ।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा मंहत मच्छेन्द्रनाथपुरी को धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29-03-25 को वादी श्री मच्छेन्द्रनाथपुरी महंत शिव मंदिर बालाजी धाम हिन्डन विहार ने सूचना दी कि एक व्यक्ति मंदिर पर आने वाले भक्तो पर नाजायज टिप्पणी करता है तथा मना करने पर मुझे भी देख लेने की धमकी दी है। उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त को हिन्डन विहार धर्म काटें के पास से गिरफ्तार किया गया, अभि0 के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 का नाम व पता-
रहीश पुत्र सब्बीर निवासी साई मस्जिद वाली गली न्यू हिन्डन विहार थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभि0 ने पूछताछ में बताया कि मैं अपना मकान हिन्डन विहार में बना रहा हूँ, वहीं पास में बाबा का मन्दिर भी है, मंदिर में श्रद्धालुओ का आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण गली में भीड रहती है तो मैंने गुस्से में श्रद्धालुओ के साथ कहा सुनी हो गयी थी, जब बाबा ने इस बात के लिए मना किया तो मेरा विवाद बाबा मच्छेन्द्रनाथपुरी के साथ भी हो गया था।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-
थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ सहित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 145 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एल्प्राजोलम पाउडर बरामद।

दिनांक 29.03.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ सहित अभियुक्त शेरु उर्फ शेरखान पुत्र स्व0 इरशाद उर्फ भालू निवासी डाबर तालाब संगम विहार लोनी देहात थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद को अल्वीनगर पुलिया के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 145 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एल्प्राजोलम पाउडर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 08/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली से चोरी छिपे ये नशीला एल्प्राजोलम पाउडर खरीद कर लाता हूँ तथा इसकी पुडिया बनाकर फुटकर रुप से राह चलते व्यक्तियों को बेच देता हूँ इससे प्राप्त रूपयों से मैं अपने शौक पूरा करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शेरु उर्फ शेरखान पुत्र स्व0 इरशाद उर्फ भालू निवासी डाबर तालाब संगम विहार लोनी देहात थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 33 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

कब्जे से 145 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एल्प्राजोलम पाउडर बरामद।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर हत्या, मारपीट, आयुध अधिनियम, गैंगस्ट अधिनियम के 15 अभियोग, थाना कोतवाली पर आयुध अधिनियम के 02 अभियोग, थाना लोनी बॉर्डर पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग, थाना ट्रोनिका सिटी पर लूट का 01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर चोरी का 01 अभियोग व थाना अंकुर विहार पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली में आयुध अधिनियम व धोखाधड़ी के 06 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग -27)। अभियुक्त थाना अंकुर विहार से हिस्ट्रीशीटर अपराधी है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।